

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

अधिसूचना

आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-707/V-2-आ0-2021-105(आ0)/2013 टी.सी. दिनांक: 24.02.2021 के द्वारा "एक बार समाधान योजना, 2021" को अधिसूचना के निर्गत होने से 06 माह तक के लिए लागू किया गया था। आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1/10280/2021, दिनांक: 05.10.2021 के द्वारा उक्त योजना की समयावधि दिनांक: 31.03.2022 तक विस्तारित की गयी।

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त "एक बार समाधान योजना" को दिनांक: 30.09.2022 तक विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Rajendra Singh

Patiyal

Date: 22-06-2022 17:05:58

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 6- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 7- उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 8- आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून।
- 9- अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 10- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के संबंधित खण्ड में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12- गार्ड फाईल।